चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 13.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 13.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(3). पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज व माघी पूर्णिमा को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु रामघाट एवं परिक्रमा मार्ग पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा रामघाट एवं परिक्रमा मार्ग पर लगे पुलिस कर्मियों से सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने निर्देशित किया गया। अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि रामघाट एवं परिक्रमा मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरों की लगातार जांच कराते रहे तथा खराब होने की दशा में तत्काल ठीक कराये। रामघाट एवं परिक्रमा मार्ग के आस पास साफ सफाई बनाये रखे। महोदय द्वारा पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में श्रद्धालुओं का आगमन ज्यादा हो रहा है रोड पर वाहनों का आवागमन अत्यधिक है रोड पर कही भी जाम की स्थिति न उत्पन्न होने पाये इसके लिए रोड पर लगे पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को लगातार ब्रीफ करते रहे। पार्किंग स्थल में लगातार भ्रमण कर चेकिंग करते रहें।

भ्रमण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, अधिशासी अधिकारी कर्वी श्री लालजीत यादव, प्रभारी सीतापुर श्री अनिल गुप्ता एवं पीआरओ श्री प्रदीप पाल उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती प्रिया शुक्ला पुत्री कपिल मुनि त्रिपाठी निवासी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति संदीप कुमार शुक्ला पुत्र कृष्ण कुमार शुक्ला निवासी मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा प्रार्थिया को गाली गलौज,मारपीट, लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवाग्नी श्रीवास्तव द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना न करने,पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी
2.महिला आरक्षी शिवाग्नी श्रीवास्तव

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनाँक 13.02.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 880/2016 धारा 279, 338 भादवि0 के

आरोपी अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र अभिलाष सिंह निवासी नांदिन तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0)/एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 13.02.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 395/2012 धारा 332,353 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मुन्ना पुत्र राजकुमार पाल निवासी पथरौड़ी चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 4000/- रुपये व मुकदमा उपरोक्त में धारा 427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामसरवा पुत्र रघुनाथ निवासी चंदई थाना मऊ जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 12.07.2012 को वादी इन्द्रबहादुर सिंह पुत्र होरीलाल निवसी शान्तीनगर जंगल दफ्तर के पीछे रोड बस डीपो बांदा द्वारा सूचना दी कि अभियुक्तगणों वादी के साथ गाली गलौज व मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना तथा बस डीपों बांदा को मारकर नुकसान पहुंचाना। सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 395/2012 धारा 353,332,427 भादवि0 बनाम मुन्ना पुत्र राजकुमार पाल व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री गोविन्द सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी। उ0नि0 उपरोक्त द्वारा आरोपी अभियुक्त मुन्ना पुत्र राजकुमार पाल व रामसरवा पुत्र रघुनाथ को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनाँक 12.04.2013 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेंद्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 13.02.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1010/2014 धारा 323,325,504,506,34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. शिवविलास उर्फ गैज 2. शिव कैलाश 3. विजय उर्फ पिंकू पुत्रगण केदार त्रिपाठी निवासीगण सेमरिया जगन्नाथवासी चौकी सीतापुर जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष का कारावास व 8000/-8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 27.12.2014 को वादी श्री श्रीधर त्रिपाठी पुत्र स्व0 गुलाब प्रसाद निवासी सेमरिया जगन्नाथवासी चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने सूचना दी थी कि अभियुक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादी व वादी के भाई रमाशंकर व चन्द्रभान के साथ गाली गलौज,मारपीट कर गंभीर चोट पहुचाना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 1010/2014 धारा 323,325,504,506,34 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण

पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री मदन मोहन त्रिपाठी द्वारा की गयी थी । उ0नि0 उपरोक्त द्वारा आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 04.04.2015 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 13.02.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 82/2012 धारा 279,337,304ए भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मुन्नालाल पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी उन्नारा बन्ना थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।